हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

कार्यसूची

तेरहवां सत्र

शनिवार, 21 नवम्बर, 2026/30 कार्तिक, 1948(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. प्रश्नोत्तर:

(1) तारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

(2) अतारांकित:

(i) स्थगित
(ii) दिन के लिए

} पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे।

2. कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे:

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे।

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 323(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग निगम विहार, शिमला का 54वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25; और

(ii) हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5।

3. विधायी कार्य:

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(1) श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम, 2007 (2008 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) तृतीय संशोधन विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 19)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(2) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि राज्य में समावेशी, संतुलित, सतत् एवं हरित औद्योगिकीकरण की गति को तीव्र करना, जिसके लिए निवेशकों को उनके द्वार पर सुविधा सेवाएं उपलब्ध कराना, भूमि बैंक का सृजन एवं प्रबंधन करना, नीतिगत ढांचा तैयार करना, व्यवसाय सुधार संबंधी ढांचे को सुदृढ़ करना, सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना का विकास करना, निवेश योग्य परियोजनाओं के लिए शीघ्र अनुमोदन एवं स्वीकृतियां प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना तथा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, और उससे संबंधित एवं उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश विनिधान, संवर्धन और सरलीकरण विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 17)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(3) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम संख्यांक 8) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 18)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(4) **श्री हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि जीवन और कारबार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन में और वृद्धि करने, अपराधों का निरापराधीकरण और सुव्यवस्थीकरण करने हेतु कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 21)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(5) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 22)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

(6) **श्री विक्रमादित्य सिंह, लोक निर्माण मन्त्री,** प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।

हिमाचल प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2026
(2026 का विधेयक संख्यांक 28)

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए।

4. नियम-344 के अन्तर्गत प्रस्ताव:

श्री हर्षवर्धन चौहान, संसदीय कार्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि:

"यह सदन इस मत का है कि वर्ष 2026 में सभा की निर्धारित न्यूनतम 35 बैठकों में से 3 बैठकें न हो पाने के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम-4 के प्रचलन को इस वर्ष के लिए निलम्बित किया जाए।"

धर्मशाला-176215 **(यशपाल शर्मा)**
दिनांक: 20 नवम्बर, 2026 **सचिव।**

******

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)